न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 08 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. बालाराम पुत्र रामाराम
2. सेवाराम पुत्र रामाराम
3. मदनलाल पुत्र रामाराम
4. श्रीमती छगनी बेवा रामाराम
   जति भील निवासी मण्डापुरा
   त्हसील पचपदरा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.हडमानराम पुत्र सेणाराम उर्फ सेवाराम गोद पुत्र दलाराम जाति भील निवासी माडपुरा
2.श्रीमती बादली पुत्री दलाराम पत्नी बगताराम जाति भील निवासी गोपडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3.श्रीमती दाकूदेवी पत्नी हिमताराम जाति मीणा निवासी गुडा ऐन्दला पाली
4.श्रीमती राजवन्ती पत्नी जमनालाल मीणा निवासी जोधपुर
5.हरीराम पुत्र वीराराम
6.मेलाराम पुत्र वीराराम
7.अर्जुनराम पुत्र वीराराम जाति भील निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 09 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. बालाराम पुत्र रामाराम
2. सेवाराम पुत्र रामाराम
3. मदनलाल पुत्र रामाराम
4. श्रीमती छगनी बेवा रामाराम
   जति भील निवासी मण्डापुरा
   त्हसील पचपदरा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.हडमानराम पुत्र सेणाराम उर्फ सेवाराम गोद पुत्र दलाराम जाति भील निवासी माडपुरा
2.श्रीमती बादली पुत्री दलाराम पत्नी बगताराम जाति भील निवासी गोपडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3.श्रीमती दाकूदेवी पत्नी हिमताराम जाति मीणा निवासी गुडा ऐन्दला पाली
4.श्रीमती राजवन्ती पत्नी जमनालाल मीणा निवासी जोधपुर
5.हरीराम पुत्र वीराराम
6.मेलाराम पुत्र वीराराम
7.अर्जुनराम पुत्र वीराराम जाति भील निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 165 / 2006 बअनवान हडमानराम बनाम रामाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2006 एवं दिनांक 14.03.2008 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नृसिंह सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अमृतलाल जैन रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 28.07.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दोनों अपीलों के पक्षकारान एवं एक ही वादग्रस्त आराजी को लेकर पेश करने से दोनों अपील का निर्णय एक साथ पारित किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति पृथक से दोनों अपील की पत्रावलियों पर रखी जा रही है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 संयुक्त हिन्दु परिवार के हैं वादी के जायन्दा पिता सेणाराम एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पिता व 5 के पति का सेटलमेंट से पूर्व एवं उसके बाद शामलाती में ही मौजा मण्डापुरा में निम्न खसरान की जमीन पर बराबर बराबर हिस्से पर कब्जा काश्त था एवं वीराराम एवं सेणाराम के छोटे भाई दलाराम से अपनी जमीन पर काश्त करता था खेत खसरा संख्या 589, 591, 769, 590, 597, 667 समस्त, खसरान का कुल रकबा 44 बीघा हैं। सेणाराम एवं वीराराम दोनों सगे भाईयों का सेटलमेंट से पूर्व एवं उसके बाद की उपरोक्त जमीन पर बराबर बराबर हिस्से पर कब्जा काश्त था। अपीलाधीन आराजी के कब्जा काश्त को लेकर विवाद हुआ तब गांव के मोजीज व्यक्तियों के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के बीच राजीनामा करवाया गया, पंचायती कराई गई उक्त पंचायती में सेणाराम को खेत खसरा संख्या 769 रकबा 14.17 बीघा देना तय किया गया। उक्त राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2006 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उसके बाद न्यायालय की उक्त पत्रावली की आदेशिका में किसी प्रकार का हवाला दिये बिना तहसीलदार पचपदरा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जो विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.11.2006 को प्राप्त हुआ जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2008 को अंतिम डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उतरदाता द्वारा हस्तगत वाद को स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया। उतरदाता संख्या 01 द्वारा षडयंत्र रच कर अपीलांट के पूर्वज रामाराम एवं उतरदाता संख्या 02 से 05 को बहला फुसलाकर पेंशन का झांसा दिला कर विवादित फाईनल डिक्री को पारित करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से मंगवाया गया। जबकि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर गये बिना पावरस डेलीगेटड किये गये। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण की आपतियां लिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि सेणाराम एवं वीराराम दोनों सगे भाईयों का सेटलमेंट से पूर्व एवं उसके बाद की उपरोक्त जमीन पर बराबर बराबर हिस्से पर कब्जा काश्त था। अपीलाधीन आराजी के कब्जा काश्त को लेकर विवाद हुआ तव गांव के मोजीज व्यक्तियों के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के वीच राजीनामा करवाया गया, पंचायती कराई गई उक्त पंचायती में सेणाराम को खेत खसरा संख्या 769 रकबा 14.17 बीघा देना तय किया गया। उक्त राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2006 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उसके बाद न्यायालय की उक्त पत्रावली की आदेशिका में किसी प्रकार का हवाला दिये विना तहसीलदार पचपदरा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जो विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.11.2006 को प्राप्त हुआ जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2008 को अंतिम डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पचपदरा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार पचपदरा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये विना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देषित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को विना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने विना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार वायतु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेष विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल वनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेष किया गया। यह वंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी वहस करते हुए वताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है उसको तैयार करते वक्त अपीलांट के पिता रामाराम स्वयं मौके पर उपस्थित आऐ तथा उनके मौका फर्द पर हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त अपीलांटगण के पिता को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय डिक्री विधि द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाड़मेर

स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलांटगण द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपीले पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि आज से दस दिन पूर्व अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटगण मौके पर कब्जा करने के प्रयास करने लगे तब प्रार्थीगण हल्का पटवारी से सम्पर्क किया एवं इस बाबत नकले दिनांक 29.12.2020 को प्राप्त की उन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 25.01.2021 को नकले प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई है फिर भी अपीलांटगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होने का तथ्य सरासर गलत एवं झूठा है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का <u>उचित व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्षाया गया है</u> जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपील पेश करने में हुऐ विलंब के बारे में मनगढत व झूठे तथ्य अंकित किये है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 13 वर्ष बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चुंकि न्यायालय द्वारा मैरिट पर बहस सुनने के कारण मैरिट पर निर्णय पारित करना भी न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर पारित की गई। कथित राजीनामा में अपीलांटगण के पिता/पति ने अपीलाधीन आराजी में से वादी/रेस्पोडेंट को जमीन देना स्वीकार किया गया है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.09.2006 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से मंगवाया गया। मौका विभाजन फर्द दिनांक 25.09.2006 अपीलांटगण के पिता/पति की उपस्थिति में तैयार की गई तथा उपस्थिति स्वरूप अपीलांटगण के पिता/पति के उक्त मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये गये है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंषा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावष्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपीलांटगण की अपीले खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलांटगण की अपीले मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 165/2006 बअनवान हडमानराम बनाम रामाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2006 एवं दिनांक 14.03.2008 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील, प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर